

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 451]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 14 नवम्बर 2015—कार्तिक 23, शक 1937

#### विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2015

क्र. 84(9)-वि. निर्वा.-चार-2015.—भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश क्र. 576-3-EVM-2015-SDR-Vol. I दिनांक 12 नवम्बर 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है—

एस. एस. बंसल, सचिव.

#### भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली—110 001

तारीख 12 नवम्बर 2015—कार्तिक, 1937 (शक)

#### निदेश

संख्या 576-3-ईवीएम-2015-एस.डी.आर.-खण्ड-1.—यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से दिए और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिये प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करें; और

2. यतः आयोग ने मध्यप्रदेश के 24-रतलाम (अ. ज. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं तेलंगाना के 15-वारंगल (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा मध्यप्रदेश के 171-देवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मणिपुर के 9-थांगमेईबांद एवं 5-थोगजु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मिजोरम के 12-उत्तरी एजवाल-III (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा मेघालय के 32-नोगस्टोइन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की परिस्थितियों पर विचार किया है तथा इस बात से संतुष्ट है कि उपर्युक्त संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराए जाने के लिये पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध हैं. मतदान कर्मचारी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित है तथा मतदाता भी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के संचालन के साथ पूरी तरह परिचित हैं.

3. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा हरियाणा एवं महाराष्ट्र के वर्तमान राज्य विधान सभा साधारण निर्वाचन में मध्यप्रदेश के 24-रतलाम (अ. ज. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं तेलंगाना के 15-वारंगल (अ. जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा मध्यप्रदेश के 171-देवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, मणिपुर के 9-थांगमिबंद एवं 5-थोगजु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, मिजोरम के 12-आइजवाल उत्तर-III (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा मेघालय के 32-नोगस्टोइन विधान सभा

निर्वाचन क्षेत्र, जहां पर उप-निर्वाचन हो रहे हैं, को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसमें 28-10-2015 (बुधवार) को अधिसूचित किए गए लोकसभा एवं राज्य विधान सभा के वर्तमान उप-निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं।

आदेश से,  
हस्ता./-

(अनुज जयपुरियार)  
सचिव.

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001

Dated 12th November 2015

#### DIRECTION

No. 576/3/EVM/2015/SDR-Vol.I.—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in **24-Ratlam (ST) Parliamentary Constituency in Madhya Pradesh & 15-Warangal (SC) Parliamentary Constituency in Telangana and 171-Dewas Assembly Constituency in Madhya Pradesh, 9-Thangmeiband & 5-Thongju Assembly Constituency in Manipur, 12-Aizwal North-III (ST) Assembly Constituency in Mizoram and 32-Nongstoin (ST) Assembly Constituency in Meghalaya** and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specifies **24-Ratlam (ST) Parliamentary Constituency in Madhya Pradesh & 15-Warangal (SC) Parliamentary Constituency in Telangana and 171-Dewas Assembly Constituency in Madhya Pradesh, 9-Thangmeiband & 5-Thongju Assembly Constituencies in Manipur, 12-Aizwal North-III (ST) Assembly Constituency in Mizoram and 32-Nongstoin (ST) Assembly Constituency in Meghalaya** as the Constituencies in which the votes at the current bye-elections to the House of the People and State Legislative Assemblies from the said Constituencies notified on 28-10-2015 (Wednesday), shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,  
Sd./-

(ANUJ JAIPURIAR)  
Secretary.